

हिमाचल प्रदेश सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग  
ई अनुभाग

अधिसूचना

संख्या: सा0प्र0वि0-ई (ए)4-1/2019 दिनांक: शिमला-2 07/08/2020

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24.02.2020 तथा राजपत्र में दिनांक 25.02.2020 को प्रकाशित "हिमाचल प्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान राशि योजना-2019", में आंशिक संशोधन करते हुए हिमाचल प्रदेश के ऐसे मूल निवासियों जिन्हें मीसा (MISA-Maintenance of Internal Security Act) व डी0आई0आर0 (DIR-Defence of India Rule) के अन्तर्गत दिनांक 25.06.1975 से 21.03.1977 तक के आपातकाल के दौरान राजनीतिक व सामाजिक कारणों से क्रमशः 1 से 15 दिन व 15 दिन से अधिक की अवधि के लिए कारावास/जेल में निरूद्ध रहे हों, को क्रमशः ₹ 8,000/- व ₹ 12,000/- मासिक सम्मान राशि देने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

इसके अतिरिक्त राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उन प्रहरियों को, जिनका कोई कारावास सम्बन्धित रिकॉर्ड नहीं है या अधूरा है, उनके लिए किन्हीं भी दो प्रहरियों, जिनका अपना रिकॉर्ड है, उनके द्वारा सत्यापित प्रपत्र (परिशिष्ट 'ग') पर उनको प्रहरी मानने की भी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आदेश द्वारा

अनिल कुमार खाची  
मुख्य सचिव  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
शिमला-2 07/08/2020

पृष्ठांकन संख्या:यथोपरि


दिनांक:

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश, शिमला-3
2. वरिष्ठ उपमहालेखाकार (ले0 व ह0), हिमाचल प्रदेश, शिमला-3
3. प्रधान सचिव (मुख्यमन्त्री) हिमाचल प्रदेश शिमला-2
4. सचिव (राज्यपाल) हिमाचल प्रदेश, शिमला-2
5. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
6. समस्त निजी सचिव, मन्त्री/मुख्य सचेतक, हिमाचल प्रदेश शिमला-2
7. समस्त उपायुक्त/पुलिस व कारागार अधीक्षक हिमाचल प्रदेश।

8. निजी सचिव, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2
9. उप सचिव (सामान्य प्रशासन-सी) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2  
को मद संख्या-10 दिनांक 13.07.2020 के सन्दर्भ में।

भवदीय

  
उप सचिव (सामान्य प्रशासन)  
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2

आपका आभार

विभागाध्यक्ष, प्रशासन

प्रशासन विभाग

उत्तराखण्ड राज्य सरकार

शिमला-2

आभार

विभागाध्यक्ष, प्रशासन

आपकी मुझे देयतापूर्ण कार्यवाही के लिए धन्यवाद।

उत्तराखण्ड राज्य सरकार, शिमला-2

उत्तराखण्ड राज्य सरकार, शिमला-2

उत्तराखण्ड राज्य सरकार (विभागाध्यक्ष) शिमला-2

उत्तराखण्ड राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन) शिमला-2

उत्तराखण्ड राज्य सरकार, शिमला-2

उत्तराखण्ड राज्य सरकार, शिमला-2

उत्तराखण्ड राज्य सरकार, शिमला-2

प्रमाण पत्र

मैं.....आयु.....सुपुत्र/पत्नी श्री.....  
गांव.....डाकघर.....तहसील.....जिला.....  
हि०प्र० का स्थाई निवासी हूँ तथा मुझे प्रदेश सरकार के पत्र संख्या.....  
..... दिनांक.....के अन्तर्गत लोकतन्त्र प्रहरी घोषित  
किया गया है। (प्रति संलग्न)

मैं.....प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्री/श्रीमती.....  
आयु.....सुपुत्र/पत्नी श्री.....गांव.....डाकघर.....  
तहसील.....जिला.....हि०प्र० मेरे साथ दिनांक.....  
से.....तक.....जेल/थाना  
में मीसा/डी०आई०आर० के अन्तर्गत राजनीतिक व सामाजिक कारणों से  
निरुद्ध रहे हैं। मेरा उक्त जेल/थाना में बन्दी रहने सम्बन्धी प्रमाण पत्र  
संलग्न है।

यदि उपरोक्त सूचना किसी भी समय गलत पाई जाती है तो प्रदेश  
सरकार को उक्त दोनों व्यक्तियों (आवेदक तथा प्रमाणितकर्ता) की लोकतन्त्र  
प्रहरी सम्मान राशि बन्द करने का अधिकार होगा।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

(प्रमाणितकर्ता के हस्ताक्षर)